किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य

—उमाशंकर मिश्र

संभवत: राष्ट्रीय कृषि बाजार 'नाम' को 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का एक प्रमुख घटक माना जा रहा है। साथ ही, खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल पर जोर भी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा। सरकार की बजट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने की पहल से भी फलों और सब्जियों की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में, अगर केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात कह रही है, तो इसके पीछे कौन से आधार हैं, इसकी पड़ताल करना जरूरी हो जाता है।

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है। लेकिन, पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार–चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केंद्र में रहे हैं।

ऐसे में नकारा नहीं जा सकता कि वैश्विक–स्तर पर आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कृषि नीतियां मुख्य रूप से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के किफायती उपयोग और बाजार या फिर मौसमी बदलाव से जुड़े जोखिम से निपटने वाले तंत्र पर केंद्रित होनी चाहिए। वर्ष 2014–15 में

मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी। हालांकि, पशुपालन के क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से काफी हद तक इस कमी की भरपाई हो गई। मगर, 2015–16 में एक बार फिर मानसून ने धोखा दिया और इस बार इसमें 14 प्रतिशत की कमी देखी गई। 1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं–कहीं बाढ़ ने भी फसलों को प्रभावित किया। जाहिर है, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है।

प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियां खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ दो प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ डेढ़ फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य की सरकारें बराबर–बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। यह योजना इस साल जून से शुरू होने वाले खरीफ से लागू हो जाएगी। इस पर इस साल 17,600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केंद्र ने 8,800 करोड़ रुपये इस योजना के लिए मंजूर किए हैं। इतनी ही रकम राज्य सरकारें देंगी।

फिलहाल दो फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं। वर्ष 1999 में लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और 2010 में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। पुरानी योजना में प्रीमियम रेट 15 प्रतिशत है, लेकिन ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में यह 57 प्रतिशत तक हो जाता है। इसलिए सिर्फ 23 प्रतिशत किसानों तक ही इसका फायदा पहुंच सका। नई योजना में पुरानी योजना की विशेषताओं को शामिल करके विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की गई है।

सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर तो कीमतों पर भी पड़ता है; महंगाई बढ़ती है। दिसंबर 2015 में बीते साल की अपेक्षा थोक मूल्य सूचकांक अस्सी प्रतिशत अधिक था। दालों एवं सब्जियों के दामों में क्रमशः 56 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ अन्य चीजें, जिनका आयात करने के अलावा विकल्प सीमित हैं, उनमें भी तेजी रही है। शेष मदों में उस तरह की तेजी नहीं है, जैसी 2005–2013 के दौरान देखने को मिल रही थी। इसका एक कारण अनाज का पर्याप्त भंडार होने के साथ–साथ वैश्विक–स्तर पर कमोडिटी के दामों में गिरावट भी रही है। पिछले दो सालों के दौरान इसमें 25 फीसदी की गिरावट देखी गई। इससे पहले भी 1990 के दशक के मध्य से वर्ष 2000 के मध्य तक कृषि के हालात बहुत अच्छे नहीं थे और ग्रामीण व्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। कृषि आमदनी से जुड़े एक विश्लेषण (चंद ईटी, एएल, 2015) के मुताबिक 1993–94 से 2004–05 का दशक कृषि उत्पादन एवं किसानों की बेहतरी के लिहाज से निराशाजनक बताया गया है। इस अध्ययन में पाया गया कि 1983 से 1993–94 के बीच किसानों की आय से जुड़ी विकास दर 2.7 से घटकर दो प्रतिशत रह गई थी। वहीं, 1995–2004 के दौरान किसान आत्महत्या की संख्या में सत्तर प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसे मीडिया ने 'कृषि संकट' का नाम दिया। हालांकि, 2004–05 से 2011 के बीच किसानों की आय की वार्षिक विकास दर बढ़कर 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। किसानों की आत्महत्याओं में कमी आई। इस दौरान कृषि उत्पादन में चार प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही थी और कृषि व्यापार की शर्तों में भी सुधार देखा जा रहा था। इस औसत बढ़ोतरी का एक

कारण किसानों का खेती से पलायन भी माना जाता है। जाहिर तौर पर गैर–कृषि रोजगार की ओर पलायन से किसानों की संख्या कम होना इसके लिए जिम्मेदार रहा होगा। समन्वित रूप से ये सभी कारण किसानों की आय में इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन, इसे स्थायी बढ़ोतरी मानना बड़ी भूल होगी। ऐसे में इन संकेतकों को बहुत आशावादी नहीं कहा जा सकता।

एक बार फिर विभिन्न राज्यों में सूखे की ताजा स्थिति को देखें, तो न केवल कृषि, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खतरे में घिरी हुई नजर आती है। लेकिन, यह स्थिति सूखे के कारण फसलोत्पादन में कमी होने से ही नहीं बनी है। बल्कि ग्रामीण आमदनी में गिरावट का कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, निवेश के लिए लचर घरेलू माहौल भी है। निर्यात की जाने वाली फसलें, जैसे–बासमती चावल, कपास और रबड़ जैसे उत्पादों की कीमतें भी वैश्विक मंदी के कारण कम हुई हैं।

इन तमाम संदर्भों को देखें, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कृषि एवं किसानों के कल्याण से जुड़ी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं आखिर किस तरह की हैं? वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा पुनर्गठित नीति आयोग का एक दस्तावेज इस बारे में बहुत कुछ कहता है। इसमें कृषि से जुड़े पांच मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है:–

- उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी प्रयास
- किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने की नीतियां
- पट्टे पर भूमि देने की नीतियों में सुधार
- प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत के लिए तंत्र का निर्माण
- पूर्वोत्तर राज्यों में हरितक्रांति के प्रसार के लिए पहल।

केंद्र सरकार की योजनाओं में इन बातों की झलक देखने को मिलती है। उत्पादकता बढ़ाने, पानी के किफायती उपयोग, बीज, मिट्टी की सेहत, फर्टिलाइजर से जुड़ी सरकारी नीतियां काफी हद तक इस दिशा में बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि, इनके दूरगामी परिणामों को समझने में अभी वक्त लग सकता है।

विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर फोकस पूर्व योजनाओं में भी शामिल रहा हैं। विभिन्न मदों में किसानों एवं ग्रामीण आबादी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाने की जो तेजी वर्तमान सरकार दिखा रही है, वह स्पष्ट रूप से पिछले प्रयासों से अलग है। साथ ही डीबीटी को लेकर एक स्पष्ट पहल भी नजर आती है।

यह सही है कि कृषि बाजार में सुधार से किसानों की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी ओर, पारदर्शी एवं जरुरतमंदों तक पहुंच होने के कारण डीबीटी योजना एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम के रूप में उभरकर सामने आ सकती है। लेकिन, राज्यों के सकारात्मक सहयोग के बिना डीबीटी की सफलता संदिग्ध लगती है। इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्यों के संस्थागत ढांचे का उपयोग किए बिना इस पहल को अंजाम देना चाहती है। यह माना जा सकता है कि इस तरह की पहल से जरुरतमंदों के हक पर भ्रष्टाचार की दीमक नहीं लग पाएगी। लेकिन, एक जोखिम यह भी है कि राज्यों का संस्थागत सपोर्ट सिस्टम ऐसे में और भी लचर हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से देखें, तो क्रेडिट, पशुधन एवं कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं। संस्थागत क्षरण किसी भी तरह से दीर्घकालीन एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

जहां तक बात किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार तैयार करने की है, तो इसे एक बेहतर पहल कहा जा सकता है। इसी के तहत 14 अगस्त, 2015 को 'नाम' को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (नाम) सबसे विवादास्पद और अब खत्म हो चुके नेशनल स्पॉट मार्केट का एक आधिकारिक रूप है। यह देशभर में लागू एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। 'नाम' की छतरी के नीचे सभी वर्तमान एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। नाम पोर्टल सभी एपीएमसी से जुड़ी जानकारियां देने वाली सिंगल विंडो सर्विस है। फिलहाल आठ राज्यों की 21 मंडियों को जिंसों के ऑनलाईन कारोबार के लिए इससे जोड़ा गया है। इस पर कमोडिटी की आवक, कीमतें, खरीद और बिक्री से जुड़े तथ्यों और खरीदारों के ऑफर समेत कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी।

अभी तक भारत में कृषि उत्पादों का बाजार बिखरा हुआ है। हमारे यहां कृषि बाजार का संचालन एग्री–मार्केटिंग रेगुलेशन के अनुसार राज्यों द्वारा होता है। इसके तहत राज्य को कई मार्केटिंग एरिया में विभाजित किया जाता है और इनमें से हर एक का संचालन एक अलग कृषि उत्पाद समिति करती है। एपीएमसी इस मामले में अलग–अलग फीस के साथ अपने नियम भी थोपती हैं, जिससे किसानों को जूझना पड़ता है। एक राज्य के भीतर इस तरह के बाजार के विभाजित होने से कृषि उत्पादों की मुक्त आवाजाही बाधित होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर है, लंबे समय से कुछ स्वार्थी तत्व इस तरह के नियमों का हवाला देकर किसानों का शोषण करते रहे हैं। 'नाम' इन्हीं चुनौतियों का सामना करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जहां किसान अपने उत्पादों की लिस्टिंग कर सकते हैं और देशभर के व्यापारी बोली लगाकर उन उत्पादों के बेहतर दाम देकर किसानों से उसे खरीद सकते हैं। ऐसे में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि,

किसानों की समृद्धि हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है। फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए एक मौसम, एक दर होगी–जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी– खरीफः सिर्फ 2 प्रतिशत – रबीः सिर्फ 1.5 प्रतिशत। फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर होगी। 90 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के मामले में सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है। पहले 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होने पर जो मुआवजा मिलता था, वह अब 33 प्रतिशत पर प्राप्त होगा। भुगतान की राशि को भी डेढ़ गुना कर दिया गया है। अतिवृष्टि से खराब हुए, टूटे और कम गुणवत्ता वाले अनाज का भी पूरा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2010–15 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 33580.93 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि वर्ष 2015–2020 के लिए राशि बढ़ाकर 61,219 करोड़ रुपये कर दी गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए और हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं। इस योजना का लक्ष्य सभी खेतों के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना और प्रति बूंद अधिक फसल से जल का सदुपयोग बढ़ाना है। सभी जनपदों के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों को जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए राज्यों को राशि दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वेबसाइट भी शुरू की गई है। यही नहीं मनरेगा के तहत वर्ष 2016–17 में वर्षापोषित क्षेत्रों में 5 लाख तालाबों और कुंओं की व्यवस्था भी की जाएगी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना – फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त संस्तुति, पोषक तत्वों की मात्रा का प्रयोग करने और मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के उद्देश्य से देश के सभी 14 करोड़ किसानों को दो वर्ष में सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत उर्वरक कम्पनियों के 2 हजार मॉडल खुदरा केन्द्रों को 3 वर्ष में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम'' को प्रभावी बनाने तथा मार्च 2017 तक 14 करोड़ जोतों की मिट्टी की सेहत जांचने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों का लाभ बढ़ सके। खेती हेतु उर्वरकों की समय पर व सही कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में शहर के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए नई नीति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

परंपरागत कृषि विकास योजना – जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को आरंभ किया गया है। बजट 2016–17 में योजना के माध्यम से 3 साल में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास हेतु तीन वर्षों के लिए वर्ष 2015–16 में 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जिससे जैविक खेती की योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मनरेगा के तहत जैविक खाद के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गद्दों का निर्माण किया जाएगा।

कृषि वानिकी और नीमलेपित यूरिया – राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम हेतु पहली बार 2016–17 के बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान किया गया है। इससे 'मेड़ पर पेड़' अभियान को गति मिलेगी। यही नहीं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अब देश में नीम कोटेड यूरिया ही मिलेगा। इससे किसानों को 100 किलोग्राम की जगह 90 किलोग्राम यूरिया का ही उपयोग करना पड़ेगा जिससे लागत मूल्य में कमी आएगी तथा यूरिया का गलत उपयोग भी अब नहीं हो पाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार – किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म शुरू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2015 को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर ई–ट्रेडिंग प्लेटफार्म शुरू किया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सितम्बर, 2016 तक 200 मंडियों, मार्च 2017 तक अन्य 200 मंडियों एवं मार्च 2018 तक शेष सभी मंडियों को सामन्य ई–मार्केट प्लेटफार्म पर जोड़ दिया जाएगा।

किसनों के लिए मोबाइल एप की शुरुआत – किसानों की सुविधा के लिए चार मोबाइल एप शुरू किए गए हैं जो www.mkisan.gov.in के अलावा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

किसान सुविधा – किसानों को घर बैठे कृषि संबंधित सूचनाएं जैसे मौसम, बाजार भाव, फसलों की बीमारियां व कीट की पहचान व उपचार, कृषि विशेषज्ञ से सलाह।

पूसा कृषि – कृषि एवं बागवानी की उन्नत किस्में तथा नवीनतम तकनीकों की जानकारी।

एग्री मार्केट – 50 किमी. के दायरे में मंडियों में बाजार भाव की जानकारी।

फसल बीमा – फसल बीमा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध।

पशुपालन, डेयरी और चिकित्सा शिक्षा

उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' प्रारम्भ किया गया है। दो नए राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत में) भी स्थापित किए जा रहे हैं। इनके जरिए देसी नस्लों को संरक्षित करने व उनके विकास के लिए प्रयास किया जाएगा।

पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़ाकर 46 की गई है। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1332 किया गया है। पशु चिकित्सा स्नातकोत्तर में डेढ़ गुना की वृद्धि की गई। पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी डेढ़ गुना सीटें बढायी गई। नए बजट में अलग से चार नई परियोजनाएं– 'पशुधन' संजीवनी', 'नकुल स्वास्थ्य–पत्र', ई–पशुधन हाट शुरू की गई हैं और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र के लिए 850 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मत्स्य पालन – मात्स्यिकी में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में 'नीली–क्रांति' का आह्वान किया है इस क्षेत्र की सभी योजनाओं को समेकित करते हुए, 'नीली क्रांति' का सृजन किया गया है। अंतर्देशीय व समुद्री मात्स्यिकी को 'नीली–क्रांति योजना' में समेकित करते हुए सम्पूर्ण मात्स्यिकी सेक्टर के एकीकृत विकास को सुगम बनाया गया है। 'नीली क्रांति' में विशेष रूप से जलकृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जलीय संसाधनों से मछली उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा – पूर्वोत्तर भारत की अपार क्षमताओं को पहचानते हुए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छह नए कॉलेज खोले गए। इससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या में पिछले दो वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

- इसी प्रकार बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अंतर्गत 4 नए कॉलेज खोले गए।
- पूसा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर 68 साल में पहली बार बरही, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की स्थापना की गई एवं असम में भी स्थापना की जा रही है।
- वर्ष 2015 में भाकृअनुप द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है।
- पूर्वी भारत में दूसरी हरितक्रांति में तेजी लाने हेतु बिहार में देश के दूसरे 'राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र' की स्थापना।
- गंगटोक, सिक्किम में देश के सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र – देश में 642 कृषि विज्ञान केन्द्र जिला–स्तर पर कार्यरत हैं और ग्रामीण जनपदों में ये केन्द्र कृषि विकास में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में भी ये केन्द्र तकनीकी समर्थन और सामूहिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत हैं।

मेरा गांव, मेरा गौरव – ''प्रयोगशाला से खेत तक'' प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों से संपर्क को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। प्रत्येक वैज्ञानिक समूह द्वारा एक गांव की पहचान कर किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं परामर्शी सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन – ये मिशन सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा मे ग्रस्त प्रत्येक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम करेगा। स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का भी गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी।

बगैर एपीएमसी कानून की व्यवस्था वाले राज्यों को एक समान नया मंडी कानून लाना होगा, तभी ऑनलाइन कारोबार किया जा सकेगा। जिन राज्यों में एपीएमसी कानून है, उन राज्यों से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वे कानून में जरूरी संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई–कृषि बाजार का लाभ किसानों को मिले।

इस बार बजट में ग्रामीण भारत को खासी तरजीह दी गई और ग्रामीण विकास के लिए 87 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत गांवों में पांच लाख कुंए और तालाब खुदवाए जाएंगे। हालांकि, वर्तमान सूखे के संकट को देखते हुए मनरेगा के आवंटन को काफी कम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण सड़कों के हालात सुधरने में मदद मिल सकती है। इस तरह के ढांचागत संसाधनों के निर्माण से रोजगार सृजन भी होता है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा हो सकेगा। किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। जबकि, बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आसमान पर पहुंची दाल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि, यह रकम दलहन उत्पादन बढ़ाने और प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का और 2019 तक देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता गांवों के साथ–साथ कृषि विकास में भी मददगार होगी और किसान वर्ग इससे लाभन्वित होगा। ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने की बात हो रही है, जिसके तहत तीन साल के भीतर छह करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा। 'नाम' की छतरी के नीचे किसानों को लाने के लिए इस तरह की पहल उपयोगी साबित हो सकती है।

बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी राहत भरा है। सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लांच करेगी। इसके तहत हरेक परिवार को एक लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है। सरकार मार्च 2017 तक सस्ते राशन की तीन लाख नई दुकानें खोलेगी। जाहिर तौर पर ग्रामीण संकट के दौर में इस पहल से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

इन सबके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से खाद बनाने की योजना भी उपयोगी कही जा सकती है। किसानों को दिए जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी मिट्टी की सेहत की जानकारी देने में कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते किसानों तक इसकी पहुंच बनी रहे। लेकिन, सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों के किफायती उपयोग के बारे में सीखना होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी, उर्वरक और बिजली के युक्तिसंगत इस्तेमाल की बेहद सख्त जरूरत है। इस बात को नीतियों में शामिल करना और उस पर सख्ती से अमल करना बेहद जरूरी है, तभी कृषि, किसान और टिकाऊ खेती का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लेकिन, यह तभी संभव हो सकता है, जब राजनीति से प्रेरित बहस में न पड़कर सूखा पीड़ितों की मदद के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए संवेदनशील पहल की जाए।

(लेखक कृषि नीति विश्लेषक एवं मीडिया शोधार्थी हैं।)
ई–मेलः umashankarm2@gmail.com